



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1198

दिनांक:- 30/12/2022

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित वरिष्ठ सचिवालय सहायको को सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 7 (44,900-1,42,400/- रु.) में [जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4600/- रु. ग्रेड पे था] पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे।

क्रम सं/ वरि. सं	नाम व पिता/पति का नाम श्री / श्रीमती	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/3115	मंजीत सिंह सुपुत्र श्री निरंजन सिंह	एस.ए.जी.आर.
2/3119-A	देवी दयाल सैनी सुपुत्र स्व. श्री शिव लाल	पेंशन कक्ष

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- के वेतनमान में 4600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी। परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 7 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:-

क्रम सं/ वरि सं	नाम व पिता/पति का नाम श्री / श्रीमती	स्थान से	स्थान को
1/3115	मंजीत सिंह सुपुत्र श्री निरंजन सिंह	पदोन्नति पर	एस.ए.जी.आर.
2/3119-A	देवी दयाल सैनी सुपुत्र स्व. श्री शिव लाल	पदोन्नति पर	पेंशन कक्ष

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-3 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.एफ.10(65)2022/सी.सी./ 1029

दिनांक:- 30/12/2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता-1 एवं 2 / एस.ए.जी.आर. / दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. उप निदेशक (कार्मिक)- 3 / सतर्कता (प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / एस.ए.जी.आर., दि.वि.प्रा.।
6. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा.- आदेश को डी.डी.ए. की वेबसाइट पर डालने हेतु।